

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 165/2020

अनवान :

1. धर्मवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।

:- वादी

**ब न म**

1. रामकुमार दत्तक पुत्र रामप्यारी पत्नी जुगलाल जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
3. रोशनी देवी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
4. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
5. सुमन पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री पुनमचंद वर्मा: वादी

वकील श्री अक्षय कुमार: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 27.10.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 462/437 के मु० न० 37 के किला न० 3 व 4 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 138 के किला न० 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है०, मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है०, किला न० 22 की 0.253 है०, किला न० 23 की 0.240 है०, मु० न० 139 के किला न० 16 की 0.253 है०, मय रास्ता 0.025 है०, किला न० 25 की 0.253 है०, मु० न० 144 के किला न० 3, 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 167 के किला न० 3, 4, 7 ता 10 प्रत्येक की 0.253 है० मु० न० 186 के किला न० 5, 6, 15, 16 प्रत्येक किला की 0.228 है०, किला न० 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है० किला न० 24 की 0.253 है० मय रास्ता 0.013 है०, किला न० 25 की 0.228 है०, मय रास्ता 0.013 है०, मु० न० 199 के किला न० 6 की 0.0253 है०, किला न० 7 की 0.0127 है०, मु० न० 200 के किला न० 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 353 के किला न० 16 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 416 के किला न० 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है० मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है०, मु० न० 417 के किला न० 13, 14, 16, 17, 25 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 442 के किला न० 5 की 0.253 है०, मु० न० 443 के किला न० 1 की 0.253 है० मय रास्ता 0.013 है० कुल 11.880 है०, वारानी 11.764 है०, रास्ता 0.116 है०, राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० रामकुमार की खातेदारी दर्ज है जो पहले रामप्यारी पत्नी जुगलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामप्यारी के देहान्त होने पर उक्त भूमि को रामप्यारी के दत्तक पुत्र प्रतिवादी रामकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वाद का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने

प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वाद कारण है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 धर्मवीर पुत्र रामकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भिरानी संवत 2074-77 खाता सं 462/437 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2046-49 खाता सं 319 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2037-40 खाता सं 319 प्रदर्श 3, चित्रप्रति गोदनामा प्रदर्श 4ए व असल गोदनामा प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, व शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो जमाबंदी ग्राम भिरानी संवत 2074-77 खाता सं 462/437 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2046-49 खाता सं 319 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2037-40 खाता सं 319 प्रदर्श 3, चित्रप्रति गोदनामा प्रदर्श 4ए व असल गोदनामा प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, व शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि रामप्यारी पत्नी जुगलाल के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 में रामकुमार के वारिसान में 2 पुत्र धर्मवीर व सुनील कुमार तथा तथा 3 पुत्रीयां रोशनी देवी, राजबाला व सुमनदेवी इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

### कियात्मक आदेश


अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 462/437 के मु 0 न 37 के किला न 3 व 4 प्रत्येक की 0.253 है 0, मु 0 न 138 के किला न 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है 0, मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है 0, किला न 22 की 0.253 है 0, किला न 23 की 0.240 है 0, मु 0 न 139 के किला न 16 की 0.253 है 0, मय रास्ता 0.025 है 0, किला न 25 की 0.253 है 0, मु 0 न 144 के किला न 3, 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.253 है 0, मु 0 न 167 के किला न 3, 4, 7 ता 10 प्रत्येक की 0.253 है 0 मु 0 न 186 के किला न 5, 6, 15, 16 प्रत्येक किला की 0.228 है 0, किला न 18 प्रत्येक की 0.253 है 0 किला न 24 की 0.253 है 0 मय रास्ता 0.013 है 0, किला न 25 की 0.228 है 0, मय रास्ता 0.013 है 0, मु 0 न 199 के किला न 6 की 0.0253 है 0, किला न 7 की 0.0127 है 0, मु 0 न 200 के किला न 10, 11 प्रत्येक किला की 0.

धर्मवीर बनाम रामकुमार आदि

253 है०, मु० न० 353 के किला न० 16 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 416 के किला न० 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है० मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है०, मु० न० 417 के किला न० 13, 14, 16, 17, 25 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 442 के किला न० 5 की 0.253 है०, मु० न० 443 के किला न० 1 की 0.253 है० मय रास्ता 0.013 है० कुल 11.880 है०, बारांनी 11.764 है०, रास्ता 0.116 है०, राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार की खातेदारी दर्ज है जो पहले रामप्यारी पत्नी जुगलाल की खातेदारी हुआ करती थी। में वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं 3 ता 5 द्वारा अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया गया है इसलिए त्याग किये गये हक हिस्से पर पंजीयन विभाग द्वारा देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी धर्मवीर, प्रतिवादी सं 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं 2 सुनील कुमार को को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
सहायक न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) भा. R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

पं. सं. : 165/2020

1. धर्मवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:- वादी

**ब न म**

1. रामकुमार दत्तकपुत्र रामप्यारी पत्नी जुगलाल जाति जाट नि0 भिरानी त0 भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. रोशनी देवी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
5. सुमन पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के सम्मक्ष वकील वादी श्री पुनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 462/437 के मु0 न0 37 के किला न0 3 व 4 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 न0 138 के किला न0 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है0, मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है0, किला न0 22 की 0.253 है0, किला न0 23 की 0.240 है0, मु0 न0 139 के किला न0 16 की 0.253 है0, मय रास्ता 0.025 है0, किला न0 25 की 0.253 है0, मु0 न0 144 के किला न0 3, 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 न0 167 के किला न0 3, 4, 7 ता 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0 न0 186 के किला न0 5, 6, 15, 16 प्रत्येक किला की 0.228 है0, किला न0 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है0, किला न0 24 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.013 है0, किला न0 25 की 0.228 है0, मय रास्ता 0.013 है0, मु0 न0 199 के किला न0 6 की 0.0253 है0, किला न0 7 की 0.0127 है0, मु0 न0 200 के किला न0 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 न0 353 के किला न0 16 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 न0 416 के किला न0 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0 मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है0, मु0 न0 417 के किला न0 13, 14, 16, 17, 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 न0 442 के किला न0 5 की 0.253 है0, मु0 न0 443 के किला न0 1 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.013 है0 कुल 11.880 है0, वारानी 11.764 है0, रास्ता 0.116 है0, राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं 01 रामकुमार की खातेदारी दर्ज है जो पहले रामप्यारी पत्नी जुगलाल की खातेदारी हुआ करती थी। में वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं 3 ता 5 द्वारा अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया गया है इसलिए त्याग किये गये हक हिस्से पर पंजीयन विभाग द्वारा देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी धर्मवीर, प्रतिवादी सं 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं 2 सुनील कुमार को को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़